संख्या–आडिट–1451/दस–2012–606(2)/11

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0,
तृतीय तल, विकास दीप,
हुसैनगंज, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : २६ जुलाई, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–65 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–आडिट–671(1)/दस–2012–606(2)/11, दिनांक 4–4–2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–2013 के प्रथम 04 माह के लिए रू0 2,49,39,000/–(रूपये दो करोड़ उनचास लाख उन्तालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है एवं आपके पत्र संख्या–1861, दिनांक 21–10–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अवशेष आठ माह के लिये प्राविधानित बजट के सापेक्ष उक्त अवधि के खर्चो को वहन करने के लिए रू0 4,98,94,000/–(रूपये चार करोड़ अटठान्बे लाख चौरान्बे हजार मात्र) की राशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

(आयोजनेत्तर)

मानक मदों का विवरण	धनराशि हजार रूपये में
01–वेतन	24667
03–मंहगाई भत्ता	17020
04–यात्रा व्यय	684
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	134
06–अन्य भत्ते	2867
07–मानदेय	34
08–कार्यालय व्यय	167
09–विद्युत देय	400
10–जलकर/जल प्रभार	36
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	500
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	267
13–टेलीफोन पर व्यय	284
14–मोटर गाड़ियों का कय	01
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	234
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	117
17–किराया, उपशुल्क और कर–रवामित्व	799
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	67
42–अन्य व्यय	200
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	67
45–अवकाश यात्रा व्यय	67
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	134
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	192

–2/–

49–चिकित्सा व्यय	
51–वर्दी व्यय	942
	14
योग–	49894

(रूपये चार करोड़ अटठान्बे लाख चौरान्बे हजार मात्र)

2– उपरोक्त वित्तीय स्वीकृतियां वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 9–7–2012 में लगाई गई शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य मद/सेवा पर व्यय नहीं की जायेगी। उक्त राशि संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद ही व्यय किया जाय और यदि नियमों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाय तथा मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कम्प्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों का क्रय आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशानुरूप/आदेशानुरूप ही किया जायगा। अनुरक्षण मद की अवशेष धनराशि रू0 844 हजार की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में अलग से आदेश प्राप्त करेंगे।

3– उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अनुदान संख्या–65 के लेखाशीर्षक–"3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–आयोजनेत्तर–200–अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन–03–भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ0प्र0 चिट फण्ड्स अधिनियम का कार्यान्वयन" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या–आडिट–1451(1)/दस–2012–606(2)/11, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4– एन0आई0सी0, लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
अनु सचिव।